बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 99 दिनांक 24/7/2008

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+++

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार
महासचिव,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अध्यक्ष/सचिव जिला इकाई
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ।

विषयः–सरकारी कार्यो में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध मुकदमा करने/प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंगः–गृह विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 6211 दिनांक 09.6.2008

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि " यदि किन्ही परिस्थिति में पाया जाता है कि विभाग या संगठन से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान से परामर्श से ही अपराधिक मामले दर्ज किया जाय"।

ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के विरूद्ध अक्सर बिना यह सुनिश्चित किये कि मामला मात्र प्रशासनिक लापरवाही से संबंधित है अथवा इसमें आपराधिक भावना भी निहित है, प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा कर दी जाती है। अधिकांश मामलों में अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी भी बिहार प्रशासनिक सेवा के ही पदाधिकारी होते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि यदि किसी कार्य में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके पूर्व गृह विभाग के प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी स्वीकृति संबंधित विभाग के प्रधान से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

यह भी आवश्यक है कि यदि कुछ मामलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय निर्देशों का उल्लंधन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही हो तो संघ उक्त निर्देशो के आलोक में इसका विरोध एवं प्रतिकार करे।

साथ ही इस पत्र की प्रति अपने जिलान्तर्गत सभी सदस्यों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Sushil 24/7/08

अनु0– पत्रांक 6211 दिनांक 09.06.2008 की छाया प्रति

महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ